ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–16 / 19–20

छाया देवी बनाम् रानी देवी वगै0

31.01.2023

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदिका छाया देवी, पति–विशु रविदास, सा0–चांदपुर पहाड़पुर, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–चांदपुर नं0–104, जमाबंदी नं0–13, दाग नं0–49, रकवा–01–02–00 धूर भूमि से विपक्षीगण रानी देवी, पति–स्व0 श्रवण यादव, प्रमोद यादव, पे0–स्व0 विश्वनाथ यादव, सा0–मानगढ़, अंचल–मेहरमा, जोगी रविदास, पे0–स्व0 मितन रविदास, महेश्वर रविदास, संतोष रविदास, पे0–गणेशी रविदास, सा0–चांदपुर पहाड़पुर, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा अपने पत्रांक–529 / रा0, दिनांक–23.12.2022 से जांचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया तथा उभय पक्ष द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत प्रासंगिक भूमि के जमाबंदी रैयत से विपक्षीगण का कोई संबंध नहीं रहने के कारण विपक्षीगण का अवैध दखल कब्जा प्रतीत होता है। अतः विपक्षीगण को प्रासंगिक भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् उच्छेद किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

31.01.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

31.01.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Ram prasad Pd.
5/4/23

Seen
Binay kr. Thakur Adv
5.4.23

Digitally signed by SAURABH KUMAR BHUWANIA
Date: 2023.09.21 13:34:14 +05:30
Location: 192.168.1.33